भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1806

शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीएम गति शक्ति योजना के तहत उद्योगों को शामिल किया जाना

1806. श्री के. सी. वेणुगोपालः
डॉ. एल. हनुमंतय्याः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएम गति शक्ति योजना में शामिल करने के लिए उद्योगों और उप-उद्योगों को चिह्नित किया है;;

(ख) क्या पीएम गति शक्ति योजना के तहत फर्मों को शामिल करने और एकत्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में कोई ठोस योजना और कार्यप्रणाली बनाई गई है;;

(ग) यदि हां,, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार की पीएम गति शक्ति योजना के तहत विभिन्न फर्मों और उद्योगों के निजी हितधारकों को शामिल करने की कोई योजना है,,यदि हां,,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं,, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ): पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (एनएमपी) अक्टूबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक नोड्स और सामाजिक अवसंरचना के लिए प्रथम से अंतिम छोर तक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एकीकृत अवसंरचना के विकास हेतु एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के रूप में शुरु किया गया था। एनएमपी संबंधी योजना लोगों और वस्तुओं के निर्बाध आवागमन को सक्षम करके नागरिकों के लिए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के साथ-साथ ईज ऑफ लिविंग में सुधार लाती है। एनएमपी में, उपलब्ध अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों से संबंधित प्रासंगिक जीआईएस डेटा लेयर हैं जिनका उपयोग मल्टीमॉडल अवसंरचना की योजना बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें केंद्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सार्वजनिक और निजी औद्योगिक, दोनों संपत्तियों के साथ-साथ अन्य आर्थिक संपत्तियां भी शामिल हैं। एनएमपी केवल अधिकृत केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिकों के लिए उपलब्ध है।

*****